राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप–6)विभाग

क्रमांक प. 5(8)राज–6/97/20 जयपुर, दिनांकः–15.2.2007

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

परिपत्र

विषयः– जमाबन्दी की प्रतिलिपि राज्य के प्रत्येक जिले में स्थित प्रत्येक ग्राम पंचायत को देने बाबत्।

राजस्थान भू–राजस्व(भू–अभिलेख)नियम, 1957 के तहत विहित निर्धारित शुल्क के भुगतान पर जमाबन्दी की नकल काश्तकारों को दिये जाने का प्रावधान है। राज्य की समस्त तहसीलों में लैण्ड रिकार्ड कम्प्यूटराईजेशन योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने तथा योजना की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 31.1.2005 के बाद कोई भी पटवारी हस्तलिखित जमाबन्दी की नकल जारी नहीं करेगा। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 31.3.2005 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि जमाबंदी की कम्प्यूटरीकृत नकले यथावत् जारी करने की प्रकिया के साथ–साथ पूर्वतः की भॉति काश्तकारों को जमाबन्दी की हस्तलिखित प्रति पटवारी द्वारा जारी की जाती रहेगी।

"कनक्लेव ऑन गुड गवर्नेस" की बैठक दिनांक 18.12.06 से 21.12.06 में यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक ग्राम की जमाबन्दी की प्रति संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायी जाए। अतः निर्देश दिये जाते है कि प्रत्येक जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में चौसाला जमाबन्दी की सभी खातों की कम्प्यूटरीकृत नकलों की एक प्रति प्रत्येक चार वर्ष में एक बार निःशुल्क दिये जाने की सुनिश्चितता की जाए।

उपरोक्त निर्देशों की पालना की जाए।

(के.जी. अग्रवाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय राजस्व मंत्री महोदय।

शासन उप सचिव